

④ २६(१२)।१९८४.— श. ११९५(८) तरीके २१-१२-१९८४, अंतिम का रद्द
मार्ग २, झज्जुमारा ३(८)।

जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, १९८८

(१९८८ का अधिनियम संख्यांक ५८)

[४ अक्टूबर, १९८८]

दिल्ली संघ राज्यक्रम में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने और उससे संबंधित या उसके प्रानुषंगिक विषयों का उपचार करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि नई दिल्ली में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाए, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकूत “जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी, दिल्ली” नामक सोसाइटी को विधित किया जाए और उक्त सोसाइटी की सभी संपत्तियों और अधिकारों को उक्त विश्वविद्यालय को अंतरित और उसमें निहित किया जाए;

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, १९८८ है।

(२) यह उस तारीखों को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

२. परिभावाएँ—इस अधिनियम में, और उसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध” से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृद्ध अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध अभिहित किए जाते हैं;

(ख) "अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति)" और "शेख-उल-जामिया (कुलपति)" से क्रमशः विश्वविद्यालय के अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) और शेख-उल-जामिया (कुलपति) अभिप्रेत हैं ;

(ग) "अंजुमन (सभा)" से विश्वविद्यालय की अंजुमन (सभा) अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "विभाग" से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत अध्ययन और अनुसंधान केंद्र भी हैं ;

(च) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिकृद भी हैं ;

(छ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है ;

(ज) "छात्र निवास" से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास की या सामुदायिक जीवन की कोई इकाई अभिप्रेत है ;

(झ) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाई जाने वाली शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है ;

(ञ) "मजलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद)" से विश्वविद्यालय की मजलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद) अभिप्रेत है ;

(ঁ) "(ঁ) "মজলিস-এ-তালীমী" (বিদ্যা পরিষদ)" से विश्वविद्यालय की 'मজলিস-এ-তালীমী' (বিদ্যা পরিষদ) अभिप्रेत है ;

(ঁ) "(ঁ) "প্রাচার্য" , "কিসী সংস্থা, বিদ্যালয় যা পালিটেকনিক কা প্রধান, অভিপ্রেত হৈ, শীর জহাঁ কোই প্রাচার্য নহী হৈ বহাঁ ইসকে অংতর্গত প্রাচার্য কে রূপ মেঁ কাৰ্য কৰনৈ কে লিএ তত্সময় সম্মত রূপ সে নিযুক্ত ব্যক্তি পৌৰ আচার্য যা কাৰ্যকাৰী প্রাচার্য কে ন হোনৈ পৱে উস রূপ মেঁ সম্মত রূপ সে, নিযুক্ত উপ-প্রাচার্য হৈ ;

(ঁ) "(ঁ) "পরিনিয়ম", "অঙ্গীকৰণ" ও "বিনিয়ম" সে তত্সময় প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় কে ক্রমশঃ পরিনিয়ম, অঙ্গীকৰণ ও বিনিয়ম অভিপ্রেত হৈ ;

(ঁ) "(ঁ) "বিশ্ববিদ্যালয়" কে প্রাচার্য, উপাচার্য, প্রাধ্যাপক শীর এসে অন্য ব্যক্তি অভিপ্রেত হৈ, জো বিশ্ববিদ্যালয় মেঁ শিক্ষা দেনৈ যা অনুসন্ধান কা সংচালন কৰনৈ কে লিএ নিযুক্ত কিএ জাএ, শীর অঙ্গীকৰণ দ্বারা প্রাধ্যাপক কে রূপ মেঁ অভিহিত কিএ জাএ ;

(ঁ) "(ঁ) "বিশ্ববিদ্যালয়" সে "জামিয়া মিলিল্যা ইস্লামিয়া" কে নাম সে জাত শৈক্ষিক সংস্থা অভিপ্রেত হৈ, জো গান্ধী জী কে আহ্মদ পৰ্বৰ্ষ 1920 মেঁ খিলাফত শীর অসহযোগ আন্দোলন কে দৌৰান সরকার দ্বারা প্রায়োজিত সভী শৈক্ষিক সংস্থাওঁ কে বহিষ্কাৰ কে লিএ স্থাপিত কী শই থী শীর তত্পশ্চাত বৰ্ষ 1939 মেঁ জামিয়া মিলিল্যা ইস্লামিয়া সোসাইটী কে রূপ মেঁ রজিস্ট্ৰীকৃত হুই থী, শীর জিসে বৰ্ষ 1962 মেঁ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ অধিনিয়ম, 1956 (1956 কা 3) কী ধৰা 3 কে অধীন বিশ্ববিদ্যালয় কে রূপ মেঁ সমৰ্থী জানে বালী সংস্থা ঘোষিত কিয়া গয়া থা শীর জো ইস অধিনিয়ম কে অধীন বিশ্ববিদ্যালয় কে রূপ মেঁ প্রিয়ামিত হৈ ।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়—(১) জামিয়া মিলিল্যা ইস্লামিয়া কে নাম সে এক বিশ্ব-বিদ্যালয় কী স্থাপনা কী জাএগী ।

(2) इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

(3) तत्त्वमय धर्मीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) और शेष-उल-जामिया (कुलपति) का पद बारण करने वाले अधिकारी और विश्वविद्यालय की अंगुभान (सभा), मजलिस-ए-मुत्तज़ेमा (कार्यपरिषद्) और मजलिस-ए-तालीमी (विद्यी परिषद्) के सदस्य जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से ज्ञात एक नियमित निकाय होंगे तथा उस निकाय का ग्राहक उत्तराधिकार और सामान्य मुठा होगा और उस उस नाम से बाध लाएगा और उसके विरहे बोद लाया जाएगा।

4. जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी का विभादित और सभी संघर्षों का विश्वविद्यालय को अतरण—इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,

(i) जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी दिल्ली विभादित हो जाएगी, तथा उक्त सोसाइटी की सभी स्थानीय ग्रन्थालय संपत्ति, और सभी अधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार, विश्वविद्यालय को अतिरिक्त और उसमें निहित हो जाएंगे और उनका उपयोग उन्हीं उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया था है;

(ii) उक्त सोसाइटी के सभी छृण, दायित्व और वाध्यताएं विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगी और तत्पचात् उसके द्वारा उनका उन्मोचन किया जाएगा और वे चुकाए जाएंगे;

(iii) किसी अधिनियमित में उक्त सोसाइटी के प्रति सभी निर्देशों का अर्थ यह होगा कि वे विश्वविद्यालय के ग्रन्ति निर्देश हैं;

(iv) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् किए गए या निष्पादित किसी विल, विलब या अन्य दस्तावेज का, जिसमें उक्त सोसाइटी के पक्ष से कोई वसीयत, दात या न्यास है, इस प्रकार अर्थ संगाया जाएगा मानो उसमें सोसाइटी के नाम के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम हो;

(v) मजलिस-ए-मुत्तज़ेमा (कार्यपरिषद्) के किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह करे, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली, के स्वाक्षर के भवन, उन्हीं नामों और अभिनामों से ज्ञात और अभिहित रहेंगे जिनसे वे इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व ज्ञात और अभिहित हों;

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारंभ के शीक पूर्व जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली में नियोजित अत्येक अधिकारी, उसी घटि तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, और पैशान तथा 'उपदान' के बारे में, उन्हीं अधिकारी और विशेषाधिकारी सहित, विश्वविद्यालय में ऐसे नियोजित रहेंगे जिसे वह, इस अधिनियम के पारित न किए जाने पर, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली के अधीन नियोजित रहता।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य—विश्वविद्यालय के उद्देश्य विद्यालय की ऐसी शाखाओं में, जो वह ठीक समझे, शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार को सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और प्रगति करना होंगे और विश्वविद्यालय निम्नलिखित के संवर्धन के लिए छात्रों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे—

(i) पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन, पठन-पाठन की नई पद्धतियों और अकिलत्व के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षालय में नवीनताएं;

(ii) विभिन्न विद्याशाखाओं में अध्ययन;

(iii) अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन;

(iv) राष्ट्रीय एकीकरण, पथ निरपेक्षता और भौतराष्ट्रीय संषभावना।

६. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, प्रथम् :—

(i) विद्या की ऐसी सांख्याओं में, जो विश्वविद्यालय सम्प्र-सम्प्र पर अवधारित करे, शिक्षण की अवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और कान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए अवस्था करना ;

(ii) भारतीय धर्मों, दर्शन और संस्कृति के अध्ययन का संबंधन करना ;

(iii) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर अविक्तयों को डिलोमा या प्रमाणपत्र देना और उन्हें उपाधियाँ या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिलोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना ;

(iv) निवेश-वाहय अध्ययन विस्तार सेवाएँ आयोजित करना और इनपने हाथ में लेना तथा प्रौढ़शिक्षा के संबंधन के लिए अन्य अड्युपाय करना ;

(v) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक उपाधियाँ या अन्य विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करना ;

(vi) ऐसे अविक्तयों के लिए, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण की, जिसके अंतर्गत पक्षाचार और ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रम हैं, ऐसी अवस्था करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे ;

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापक या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक के पदों या अन्य पदों पर अविक्तयों को नियुक्त करना ;

(viii) प्रशासनिक, अनुनिवेशीय और अन्य पदों का सूजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना ;

(ix) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे व्यक्तियों को किसी विनियोग अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में नियुक्त करना ;

(x) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था के साथ ऐसी रोति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सम्बन्ध करना, सहयोग करना या सहयुक्त होना ;

(xi) अनुसंधान और शिक्षण के लिए विद्यालय, संस्थाएँ और ऐसे कोट्र, विशेषित प्रयोगालाएँ या ऐसी अन्य इकाइयाँ स्थापित करना और बनाए रखना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अप्रसर करने के लिए आवश्यक हों ;

(xii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;

(xiii) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थापित करना और चलाना ;

(xiv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए अवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों से ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(xv) किसी केंद्र, संस्था, विभाग या विद्यालय को, परिनियमों के अनुसार, व्यास्थिति, स्वयंसी केंद्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना;

(xvi) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक प्रबोधारित करना, जिनके अंतर्गत परोक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य रीति हैं;

(xvii) कीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xviii) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थानों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xix) छात्राओं के संबंध में ऐसे विशेष प्रबंध करना जो विश्वविद्यालय बांधनीय समझे;

(xx) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन का विनियमन करना और उसे प्रवर्तित करना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(xxi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxii) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए संदान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जगम संपत्ति को, जिसके अतांत न्यास और विन्यास संपत्ति हैं, अनित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(xxiii) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(xxiv) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

7. विश्वविद्यालय का सभी वगों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना—विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों और विश्वविद्यालय के लिए उसमें किसी व्यक्ति को अध्यापक या छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें कोई पद व्यारण करने या उसमें स्नातक उपाधि प्राप्त करने का हकदार बनाने के लिए किसी व्यापक विश्वास या मान्यता का मानदंड अंगीकार या उस पर अधिरोपित करना विशिष्ट नहीं होगा :

परंतु इस धारा की किसी बात से यह तहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलागों तथा महिलाओं के लिए अवश्यक करने के लिए उपयुक्त उपबंध करने से निवारित करती है।

8. कुलाध्यक्ष—(1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा बुलाए जाने वाले किसी केंद्र, विभाग, संस्था या विद्यालय का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या की गई परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराए और विश्वविद्यालय, केंद्र, विभाग, संस्था या विद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की वादवत उसी रीति से जांच कराए।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच कराए जाने के अपने आधिकार की सूचना विश्वविद्यालय को देंगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भा ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जो कुलाध्यक्ष अवधारित करे,

कुलाध्यक्ष से ऐसे विद्यमानों द्वारा विश्वविद्यालय को दूरी पर्याप्त समझ।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रध्यावेदनों पर, पर्दि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या घोरी जांच करता होगा जो सकेगा वही उपचारा (2) में निर्दिष्ट है।

(5) जहाँ कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच करता हो, वहाँ विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का प्रधिकार होय।

(6) पर्दि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाली किसी कोइ, विभाग, संस्था या विद्यालय के संबंध में की जाती है, तो कुलाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण, या जांच के प्रतिनिधि के संबंध में शेख-उम-जामिया (कुलपति) को संबोधित कर सकेगा, और शेख-उम-जामिया (कुलपति) अजलिस-ए-मूतज़ेमा (कायं परिषद) को कुलाध्यक्ष के विचार ऐसी सलाह के साथ संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष उस पर्दा की जाने वाली कार्रवाई के प्रबंध में है।

(7) जहाँ अजलिस-ए-मूतज़ेमा (कायं परिषद) उचित समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समांगनप्रद रूप में कोई कार्रवाई नहीं करता है, वहाँ कुलाध्यक्ष, अजलिस-ए-मूतज़ेमा (कायं परिषद) द्वारा दिए गए अस्पष्टीकरणों की एवं प्रध्यावेदन पुर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह दोनों संघर्ष और अजलिस-ए-मूतज़ेमा (कायं परिषद) ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(8) असरीक धारा के पूर्वाप्नी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ने विना, कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई की जांच के समय में अधिनियम संशोधन की नियमों परा प्रध्यादेशों के प्रतुष्प व हो, लिखित रूप में शोधा द्वारा बीतिस कर सकेगा।

परंतु ऐसा शोध करने के पहले वह विश्वविद्यालय को इस बात की कार्रवाई बताने के लिये कहेगा कि ऐसा शोध क्यों किया जाए, और पर्दि कोई कारण उचित समय के भीतर बताया जाता है, तो वह उस विचार करेगा।

(9) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य कार्रवाई होनी जो विनियमों द्वारा विनियमों की जाए।

१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

(i) प्रमोर-जामिया (कुलपति) ;

(ii) शेख-उम-जामिया (कुलपति) ;

(iii) नायब-शेख-उम-जामिया (प्रतिकूलपति) ;

(iv) मुसजिद (कुलसचिव) ;

(v) संकायाध्यक्ष ;

(vi) छात्र कार्यालयाध्यक्ष ;

(vii) वित्र अधिकारी, और

(viii) ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

११०. असेर-ए-जमिया (कुलपति) — (1) असेर-ए-जमिया (कुलपति) का निरीक्षण मूंजन (समा) द्वारा एही रैति से किया जाएगा जो परीनियमों द्वारा विनियमित की जाए।

(2) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) यदि अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) उपस्थित हो तो वह उपाधियां प्रदान करने के लिए किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की श्रद्धालुता करेगा।

11. शेख-उल-जामिया (कुलपति)---(1) शेख-उल-जामिया (कुलपति) को नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमोंद्वारा विहित की जाए।

(2) शेख-उल-जामिया (कुलपति) विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनियश्चय को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि शेख-उल-जामिया (कुलपति) की राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की स्पोर्ट उस प्राधिकरण को देगा।

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह यह यह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनियश्चय अंतिम होगा।

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यक्ति है, यह अधिकार होगा कि वह उस तारीख से जिसको ऐसी कार्रवाई का विनियश्चय उसे संसूचित किया जाता है तीन मास के भीतर, उस कार्रवाई के विरुद्ध मजलिस-ए-मुतजेमा (कार्य परिषद) को अपील करे और तब मजलिस-ए-मुतजेमा (कार्य परिषद) शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) शेख-उल-जामिया (कुलपति) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

12. नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति)---नायब-शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

13. मुसजिल (कुलसचिव)---(1) मुसजिल (कुलसचिव) की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) मुसजिल (कुलसचिव) को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

14. संकायाध्यक्ष---प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

15. वित्त अधिकारी---वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी—विश्वविद्यालय के अस्थि अधिकारियों की नियुक्ति की रीत तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :—

- (i) अंजुमन (सभा);
- (ii) मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्);
- (iii) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्);
- (iv) मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति);
- (v) संकाय;
- (vi) योजना बोर्ड; और
- (vii) अन्य ऐसे प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएँ।

18. अंजुमन (सभा)—(1) अंजुमन (सभा) का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंजुमन (सभा) की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के उपायों के सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले में सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए; और

(घ) अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।

19. मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्)—(1) मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

20. मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्)—(1) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों वा समन्वय करेगी और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी।

(2) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

21. योजना बोर्ड—(1) योजना बोर्ड, विश्वविद्यालय का मुख्य योजना निकाय होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदार्पण तथा उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

22. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण—संकायों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं गठन, शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

23. परिनियम बनाने की शक्ति—इस अधिनियम के उपबंधों के प्रधोन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों का निर्वाचन और पदों पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य वे सब विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां तथा कर्तव्य और उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध की नियुक्ति और उनकी उपलब्धियां;

(ङ) किसी संपूर्ण परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में काम करने वाले अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(ज) कर्मचारियों को सेवा की शर्तें, जिनके प्रत्यर्गत पेशन, बोमा और भविष्य निधि का उपबंध है, सेवा की समर्पित और अनुशासनिक कार्राई की रीति;

(झ) कर्मचारियों को सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ञ) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के समाजों में साझेशम् की प्रक्रिया;

(ञ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्राई के विरुद्ध किसी कमीशारी या छात्र द्वारा मजलिस-ए-मूतज़स्सा (कायं परिषद) को अधील की प्रक्रिया;

(ञ) छात्र संघ की अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध या अन्य कर्मचारियों के संग्रह की स्थापना और उन्हें मान्यता प्रदान करना;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यहाराओं में छात्रों का भाग लेना;

(ठ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ঢ) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ঢ) अध्येतावत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पड़क और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ণ) छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(ত) उकायों, बिभागों, केंद्रों और विभालयों की स्थापना और सम्पादित;

(ঞ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(द) एसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा वा परिनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं या किए जाएं।

24. परिनियम कैसे बनाए जाएं—(1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में दिए गए हैं।

(2) मजलिस-ए-मुतजेमा (कार्य परिषद्) समय-समय पर नए या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी।

परंतु मजलिस-ए-मुतजेमा (कार्य परिषद्) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्राप्ति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक न बनाएगी, न उनमें संशोधन करेगी या न उसको निरसित करेगी जब तक उस प्राधिकरण को प्रस्थापित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर मजलिस-ए-मुतजेमा (कार्य परिषद्) विचार करेगी।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या कोई संशोधन या परिनियम के निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति की आवश्यक होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे मजलिस-ए-मुतजेमा (कार्य परिषद्) के विचारार्थ वापस भेज सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक उस पर कुलाध्यक्ष ने अनुमति न दी हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक बाद के तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दे सकेगा और यदि मजलिस-ए-मुतजेमा (कार्य परिषद्) ऐसे निर्देश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वयन करने में असमर्थ है तो कुलाध्यक्ष उन कारणों पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात जो ऐसे निर्देश के अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए मजलिस-ए-मुतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा संसूचित किए जाएं, यथोचित रूप में परिनियम बना सकेगा या उनमें संशोधन कर सकेगा।

25. अध्यादेश बनाने की शक्ति—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियां, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) शिक्षा और परीक्षा का प्राध्यम ;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विवेद उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अहंताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए जाने वाली फीस ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रशान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों को पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हो, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(झा) उन कर्मचारियों से, जिनके लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है, मित्र कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां;

(ट) अध्ययन केंद्रों, अध्ययन बोर्डों, अंतरविषयक अध्ययन केंद्रों, विशेष केंद्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिनके अंतर्गत विद्वत् निकाय या संगम भी हैं, के साथ समन्वय और सहयोग करने की रीति;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ट) परीक्षकों, अनुसीमकों, अधीक्षकों और संगणकों को दिया जाने वाला पारिषद्मिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृद्धि की सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो, परिनियमों द्वारा विहित न हों;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थाओं का प्रबंध, और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएँ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ण प्रदृत विनियम और उपविधियां विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश होंगे और उन्हें मंजिलिस-ए-मुतजेमा (कार्य प्रतिष्ठा) द्वारा किसी भी समय निरसित या संशोधित किया जा सकेगा।

26. विनियम बनाने की शक्ति—विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अपने आर अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के कार्य के संचालन के लिए, जिसके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

27. वार्षिक रिपोर्ट—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, मंजिलिस-ए-मुतजेमा (कार्य प्रतिष्ठा) के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी और अंजुमन (सभा) को उसे तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और अंजुमन (सभा) अपने वार्षिक अधिबोधान में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) अंजुमन (सभा) अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केंद्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी जो यथार्थी उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(3) कुलाध्यक्ष को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केंद्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी जो यथार्थी उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

28. वार्षिक लेखे—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्य परिषद्) के निर्देश के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महोलेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो वह इस निमित्त प्राधिकृत कर, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर को जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्य परिषद्) के संप्रेक्षणों के साथ अंजुमन (सभा) और कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण अंजुमन (सभा) के घान में लाए जाएंगे और अंजुमन (सभा) के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई वार्षिक लेखाओं की प्रति और लेखापरीक्षा रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो ग्रामशास्त्रीय उसे-संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् जेहां परीक्षित वार्षिक लेखे राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

29. कर्मचारियों की सेवा की गते—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित सिविल के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच किसी सुनिदा से उद्भूत विवाद, संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकारण को निर्देशित किया जाएगा, जिसमें मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनियमिक होगा।

(3) उपघारा (2) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् अधिकारण को विनिश्चय भूतिम होगा और अधिकारण द्वारा विनिश्चित सामलों के संबंध में कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं होना।

(4) उपघारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक (अनुरोध माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के अर्थ में इस घारा के निवासनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा।

30. छावों के विश्व अनुशासनिक भागों में अधोल और माध्यस्थम् की प्रक्रिया—(1) कोई छाव या परीक्षाओं, जिसका नाम विश्वविद्यालय को नामावली से, यथास्थिति, शेख-उल-जामिया (कुलपति), अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिस विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की घटिकों प्राप्ति की तारीख से इस दिन के भीतर मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्य परिषद्) की अपील कर सकेगा और मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्य परिषद्), ग्रामशास्त्रीय शेख-उल-जामिया (कुलपति) या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपांत्तित कर सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छाव के विश्व अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत कोई भी विवाद, उस छाव के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकारण को निर्देशित किया जाएगा और घारा 29 की उपघारा (2), उपघारा (3) और उपघारा (4) के उपबंध, यथाशक्ति, इस उपघारा के अधीन किए गए निर्देश को लागू होंगे।

31. अपील करने का अधिकार—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के विनियोग के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, मजलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद) को अपील करने का अधिकार होगा और तब मजलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद) उस विनियोग को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

32. भविष्य निधि और पेंशन निधि—(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन निधि या भविष्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों का उपबंध करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहाँ ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहाँ केंद्रोप सरकार यह धोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

33. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद—यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनियोग अतिम होगा।

34. समितियों का गठन—जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को समितियाँ स्थापित करने की शक्ति इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा दी गई है, वहाँ जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियों में, संबंधित प्राधिकरण के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति (यदि कोई हों), जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में ठीक समझे, होंगे।

35. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में की सभी आकस्मिक रिक्तियाँ यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया या और किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

36. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ हैं।

37. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

38. विश्वविद्यालय के अभिलेख को सावित करने का दंग—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य वस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, मुसजिल (कुलसचिव)

द्वारा प्रमाणित कर दी जाने पर, उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में प्राह्य होती, उस रसाई, आवेदन, सूचना, ग्रावेश, कार्यवाही या संकल्प, दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी, तथा मामलों और संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

39. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद के समक्ष रखा जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोंकत आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतीकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

40. कठिनाइयों को दूर करने को शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे अवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

41. संक्षणकालीन उपबंध—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मूंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) तथा विश्वविद्यालय के संकाय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथाशक्यशीघ्र गठित किए जाएंगे और इस प्रकार गठित जामिया मिलिया इस्लामिया की अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मूंतजेमा (कार्य-परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) तथा संकाय, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व बार्य कर रहे थे, इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकरणों की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का पालन करते रहेंगे।

(2) जामिया मिलिया इस्लामिया के अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति), शेख-उल-जामिया (कुलपति), मस्जिल (कुलसचिव), संकायाधक्ष, विभागाधक्ष, उंस्थाओं के प्राचार्य, अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व पद धारण कर रहे थे, ऐसे प्रारंभ से ही, उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर अपने-अपने पद धारण करते रहेंगे जिन्हें वे ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व धारण कर रहे थे।

(3) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मूंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति), संकायों तथा अन्य अधिकारियों के गठन में इस अधिनियम द्वारा किए गए किसी परिवर्तन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई या प्रदान की गई कोई उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधि, ऐसे विधिमान्य होगी मानो ऐसी बात, ऐसी कार्रवाई या ऐसी उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि इस अधिनियम के अधीन की गई थी या प्रदान की गई थी।

अनुसूची
(धारा 24 वेखिए)
विश्वविद्यालय के परिनियम

१. अमीर-ए-जामिया (कुलपति) :

(१) अमीर-ए-जामिया (कुलपति) अंजुमन (सभा) द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित किया जाएगा।

(२) अमीर-ए-जामिया (कुलपति) पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(३) यदि अमीर-ए-जामिया (कुलपति) उपस्थित रहता है तो वह अंजुमन (सभा) के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

२. शेख-उल-जामिया (कुलपति) :

(१) शेख-उल-जामिया (कुलपति) को, कुलाध्यक्ष, ऐसी समिति द्वारा, जिसमें तीन व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति मजलिस-ए-मूतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और एक व्यक्ति, जो समिति का अध्यक्ष होगा, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से नियुक्त करेगा।

परन्तु उपर्युक्त समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं होगा;

परन्तु यह और कि यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का भी अनुमोदन नहीं करता है तो वह नई सिफारिशों की मांग कर सकेगा।

(२) शेख-उल-जामिया (कुलपति) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(३) शेख-उल-जामिया (कुलपति) अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह एक और पदावधि से अनधिक के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

परन्तु पांच वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका पदोत्तरवर्ती नियुक्त नहीं कर दिया जाता और वह अपना पद धारण नहीं कर लेता।

(४) बंड (३) में किसी बात के होते हुए भी, यदि शेख-उल-जामिया (कुलपति) के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान पैसठ वर्ष की मायु पूरी कर लेता है तो वह पद से नियुक्त हो जाएगा।

(५) शेख-उल-जामिया (कुलपति) की उपलब्धियाँ तथा सेवा के अन्य नियंत्रण और शार्तें वे होंगी, जो अध्यादेश द्वारा विहित की जाएं।

(६) यदि शेख-उल-जामिया (कुलपति) का पद मृत्यु, व्यापत के कारण या अन्या रिक्त ही जाता है अथवा यदि वह अनुपस्थिति, रुक्षता या किसी अन्य कारण से अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ है तो नायक शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति), शेख-उल-जामिया (कुलपति) के कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करेगा और उसे स्थानापन्न शेख-उल-जामिया (कुलपति) पदाभिहित किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण न कर ले या वर्तमान शेख-उल-जामिया (कुलपति) अपने पद के कर्तव्यों को न संभाल ले:

परन्तु यदि नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकूलपति) उपलब्ध नहीं है तो ज्येष्ठतम आचार्य शेख-उल-जामिया (कुलपति) के पद के कर्तव्यों का तब तक निवृहन करेगा जब तक यथास्थिति, नया शेख-उल-जामिया (कुलपति) या शेख-उल-जामिया (कुलपति) पद घारण नहीं कर देता।

३. शेख-उल-जामिया (कुलपति) की शक्तियाँ और कर्तव्यः

(१) शेख-उल-जामिया (कुलपति), मजलिस-ए-मुत्जेमा (कार्य परिषद्); मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्); मजलिस-ए-सालियत (विद्या समिति); और योजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा तथा अमीर-ए-जामिया (कुलपति) की अनुबसिसिति में अंजुमन (सभा) के अधिवेशन और उपाधियाँ प्रदान बरने के लिए किए गए दीक्षाता समारोह की अध्यक्षता करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और उसे संबोधन करने का हकदार होगा, किन्तु वह जब तक ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, उसमें सत्रदान करने का हकदार नहीं होगा।

(२) यह देखना शेख-उल-जामिया (कुलपति) का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का सम्पूर्ण रूप से पालन किया जाए और ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए उसे सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी।

(३) शेख-उल-जामिया (कुलपति) को अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुत्जेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस-ए-सालियत (विद्या समिति) और योजना बोर्ड के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

४. नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकूलपति) :

(१) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकूलपति) की नियुक्ति मजलिस-ए-मुत्जेमा (कार्य परिषद्) द्वारा शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर ऐसे नियुक्त होनी और शतों और चोर अध्यादेशों में अधिकारित की जाएगी, की जाएगी:

परन्तु जहाँ शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश मजलिस-ए-मुत्जेमा (कार्य परिषद्) द्वारा स्वीकार न की जाए, वहाँ वह सामला कुलाध्यक्ष को नियुक्ति किया जाएगा जो या तो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा या शेख-उल-जामिया (कुलपति) से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह मजलिस-ए-मुत्जेमा (कार्य परिषद्) को किसी अन्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश करे;

परन्तु यह और कि मजलिस-ए-मुत्जेमा (कार्य परिषद्) शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर किसी अन्यतर को आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकूलपति) के कर्तव्यों का निवृहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(२). नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकूलपति) की पदाधिक वह (होगी) जो मजलिस-ए-मुत्जेमा (कार्य परिषद्) द्वारा विविचित्रता की जाएगी किन्तु वह किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकता या शेख-उल-जामिया (कुलपति) की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहले हो, और वह पुनः नियुक्ति का पालन होगा।

परन्तु नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकूलपति) पेसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा निवृत्त हो जाएगी;

परन्तु यह और कि जब नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकूलपति) परिनियम २ के खंड (६) के अधीन शेख-उल-जामिया (कुलपति) के कर्तव्यों का निवृहन कर रहा है तब वह अपनी पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी पद अपर्याप्ततक बना रहेगा जब तक यथास्थिति, नया शेख-उल-जामिया (कुलपति) या शेख-उल-जामिया (कुलपति) पद नहीं संभाल देता।

(3) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकूलपति) की उपलब्धियाँ तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ।

(4) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकूलपति) ऐसे विषयों की बाबत, जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएँ, शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सहायता करेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा उसे दीये या प्रत्यायीजित किए जाएँ।

5. मुसज्जिल (कुलसचिव) :

(1) मुसज्जिल (कुलसचिव) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए परिनियम 25 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

(2) मुसज्जिल (कुलसचिव) की उपलब्धियाँ तथा सेवाएँ के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ:

परन्तु मुसज्जिल (कुलसचिव) साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त हो जाएगा।

(3) जब मुसज्जिल (कुलसचिव) का पद रिक्त है या जब मुसज्जिल (कुलसचिव) रुणता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्य का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख-उल-जामिया (कुलपति) उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(4) (i) मुसज्जिल (कुलसचिव) को विश्वविद्यालय के अध्यापिकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुग्रामनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के अधिकारों में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा उन्हें जांच के होने तक निर्लिपित करने, चेतावनी देने या उन पर प्रस्थापित की या वैतनरूपी रीकान की शास्ति अधिरॉपित करने की शक्ति होगी:

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरॉपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को उसके बारें में कोई जांच के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(ii) उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरॉपित करने के मुसज्जिल (कुलसचिव) के अधिकारों के विरुद्ध अपोल शेख-उल-जामिया (कुलपति) को होगी।

(iii) किसी ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि ऐसा दंड अपेक्षित है जो मुसज्जिल (कुलसचिव) की शक्ति से बाहर का है वहां मुसज्जिल (कुलसचिव) जांच के पूरा होने पर शेख-उल-जामिया (कुलपति) की एक रिपोर्ट अपनी सिफारिशों सहित देगा:

परन्तु कोई शास्ति अधिरॉपित करने के शेख-उल-जामिया (कुलपति) के अधिकारों के विरुद्ध अपोल मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को होगी।

(5) मुसज्जिल (कुलसचिव), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) और संकायों का पदेन सचिव होगा, किंतु इन प्राधिकारणों में से किसी प्राधिकारण का सदस्य नहीं समझा जाएगा। वह अंजुमन (सभा) का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(6) मुसज्जिल (कुलसचिव) का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(i) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मूदा और अन्य ऐसी संपत्ति का, जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उसके भारसाधन में दे, अभिरक्षक बने;

(ii) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), तथा संकायों अध्ययन बोर्ड, परीक्षा बोर्डों के

और विश्वविद्यालयों के प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी समिति के अधिवेशन बुलाने की सब सूचनाएं निकालें;

(iii) अंजुमन (सभा), मंजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्), मंजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), संकायों तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किसी समिति के सब अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखें;

(iv) अंजुमन (सभा), मंजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) और मंजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करें।

(v) अध्यादेशों द्वारा विहित रीति के अनुसार विश्वविद्यालय की परोक्षाओं को व्यवस्था करे और उनका अधीक्षण करें;

(vi) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनों की कार्य-सूचियों, जैसे ही वे जारी की जाएं, तथा ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की प्रतियों का प्रदाय करें;

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों का सत्यापन करे या उस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(viii) अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करे, जो इन परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं अथवा जिनकी मुजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) या शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

6. वित्त अधिकारी :

(1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूणकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह परिनियम 25 के अधीन द्वारा प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ:

परंतु वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति साठ वर्ष की आम व्यक्ति कर लेने पर सेवा-निवृत्त हो जाएगा।

(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुणता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख-उल-जामिया (कुलपति) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(3) वित्त अधिकारी मंजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) का पदेन सत्रिव्व होगा किंतु उसे उस समिति का लदर्य नहीं समझा जाएगा।

(4) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे मंजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा सौंपे जाएं या जो इन परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(5) मंजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वित्त अधिकारी—

(i) संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अन्तर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि मंजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय नहीं किया जाए और सब धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए वे मंजूर या आवंटित किए गए हैं;

(iii) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को तैयारी के लिए तथा उनके मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) के समक्ष पेश किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(iv) नकद और बैंक अधिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा ;

(v) राजस्व के संभवण की प्रगति पर नजर रखेगा और संभवण करने के लिए काम में लाप जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा ;

(vi) एक आंतरिक लेखापरीक्षा दल के द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की नियमित रूप से लेखा परीक्षा करवाएगा ;

(vii) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन बनाए रखे जाते हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले सभी कार्यालयों, कंड्रों, संस्थाओं और विद्यालयों के उपस्कर तथा अन्य खपने वाली सामग्री के स्टाक की जांच की जाती है ;

(viii) अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा तथा व्यक्तिगती व्यक्तियों के विशद् अनुशासनिक कारंबाइ का सुझाव देगा ; और

(ix) विश्वविद्यालय के अधीन किसी कार्यालय, संस्था, केन्द्र विभाग या विद्यालय से कोई ऐसी जानकारी या विवरणी मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(१) वित अधिकारी द्वारा या मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा इस नियमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेश किसी घन के लिए जारी की गई रसीद, उस घन के संदाय के दायित्व में, पर्याप्त रूप से उन्मोचित हो रही है ।

७. संकायाध्यक्ष :

(१) प्रत्येक संकाय का एक अध्यक्ष होगा जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा उस संकाय के आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए चालानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यदि किसी समय किसी संकाय में आचार्य मही है, तो शेख-उल-जामिया (कुलपति) उपाचार्यों में से किसी एक को संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा तथापि, यदि किसी संकाय में उपाचार्य की अवधि के दौरान किसी आचार्य को संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसकी पदावधि आचार्य की नियुक्ति की तारीख से समाप्त हो जाएगी, जो तब संकायाध्यक्ष हो जाएगा ।

(२) संकायाध्यक्ष साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर सके पर उस पहं पर नहीं रहेगा ।

(३) संकायाध्यक्ष, अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद द्याना सकेगा और आचार्य संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगा ।

(४) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुणता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख-उल-जामिया (कुलपति) उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(५) संकायाध्यक्ष संकाय का प्रबान होगा और संकाय में शिक्षा और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा । उसके अन्य ऐसे कृत्य होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(६) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्ड या संकाय की समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका उद्देश्य न हो उसे उसमें जटिलन करने का अधिकार नहीं होगा ।

८. विभागाध्यक्षः

(१) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो आचार्य होका और उसके कर्तव्य तथा कृत्य और उसकी नियुक्ति के निवंशन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी :

परन्तु यदि किसी विभाग में एक से अधिक आचार्य हैं तो विभागाध्यक्ष अध्यादेशों द्वारा उसकी बाबत किए गए उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे विभाग में जहाँ कोई भी आचार्य नहीं है उपाचार्य को अध्यादेशों द्वारा विहित रीत से विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि यदि किसी विभाग में कोई आचार्य या उपाचार्य न हो तो संविधित संकाय का अध्यक्ष उस विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(२) आचार्य या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अखंकार करने की स्वतंत्रता होगी।

(३) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उस रूप में तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(४) विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

९. छात्र कल्याण संकायाध्यक्षः

(१) प्रत्येक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वकल्याण के ऐसेत्यर्थकारों में से, जो उपाचार्य की मन्त्रित से नीचे के न हों, मजलिस-स-मुतज्जेमा (कार्य परिषद्) शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर की जाएगी।

(२) खंड (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक संकायाध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यदि मजलिस-स-मुतज्जेमा (कार्य परिषद्) आवश्यक समझती है तो वह शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर किसी ऐसे अध्यापक को, जो उपाचार्य की पंक्ति से नीचे काने हो, ऐसे अध्यापक के रूप में अपने कानेवारों के अतिरिक्त छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते सकेंगी और ऐसी स्थान में मजलिस-स-मुतज्जेमा (कार्य परिषद्) उसे दिए जाने के लिए उपयुक्त भत्ता भंडूर कर सकेंगी।

(३) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने मूल पद पर धारणाधिकार खेला और उन सब फायदों का पात्र होगा जो छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की दज्जा में उसे अन्यथा प्रांदभूत होते।

(४) जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष रुग्णता या अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख-उल-जामिया (कुलपति) उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(५) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां अध्यादेशों द्वारा विहित भी जाएंगी।

10. पुस्तकालयाध्यक्ष :

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिवर्तन 25 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर मञ्जिल-ए-मूतज़ेमा (कार्य परिषद) द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे मञ्जिल-ए-मूतज़ेमा (कार्य परिषद) द्वारा सौंपे जाएं।

11. अंजुमन (सभा) :

(1) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

प्रबन्ध सदस्य :

- (i) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) ;
- (ii) शेख-उल-जामिया (कुलाधिपति) ;
- (iii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलाधिपति) ;
- (iv) संकायों के सभी अध्यक्ष ;
- (v) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष ;
- (vi) मुसजिल (कुलसचिव) ;
- (vii) वित्त अधिकारी ;
- (viii) पुस्तकालयाध्यक्ष ;
- (ix) दस्त विभागाध्यक्ष, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;
- (x) अन्य संस्थाओं के दो अध्यक्ष।

आजीवन सदस्य :

(xi) वे व्यक्ति जिन्होंने 20 वर्षों तक जामिया की सेवा करने की शपथ ली है।

अध्यापकों के प्रतिनिधि :

(xii) दो आचार्य, जो अध्ययन विभागों के अध्यक्ष नहीं हैं, उक्तज्ञता के अनुसार चक्रानुक्रम से व.

(xiii) शेख-उल-जामिया (कुलाधिपति) द्वारा नियुक्त किए गए दो उस्त्राय, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से।

(xiv) शेख-उल-जामिया (कुलाधिपति) द्वारा नियुक्त किए गए दो प्राध्यापक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से।

अध्यापकों सह कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

(xv) अध्यापकों सह कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से।

नामनिर्दिष्ट सदस्य :

(xvi) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आठ व्यक्ति और अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति।

सहयोगित सदस्य :

(xvii) विद्वत् वृत्तियों और विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उह व्यक्ति जिनके अन्तर्गत उद्योग, वर्षणिय, व्यापार संघों, बकों और कृषि का प्रतिनिधित्व है, जो संचुक्ष (सभा) द्वारा सहयोगित किए जाएंगे।

विधान-मंडलों के प्रतिनिधि :

(xviii) तीन संसद सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और एक राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(xix). संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट दिल्ली प्रशासन का एक प्रतिनिधि।

(xx) सभापति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली।

(2) अंजुमन (सभा) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य, तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(3) पदेन सदस्य उस समय अंजुमन (सभा) का सदस्य नहीं रहेगा, जैसे ही वह उस पद को खाली करता है, जिसके फलस्वरूप वह ऐसा सदस्य है।

12. अंजुमन (सभा) के अधिवेशन :

(1) अंजुमन (सभा) का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब कि किसी वर्ष के संबंध में अंजुमन (सभा) ने कोई अन्य तारीख नियत की हो, मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नियत तारीख को होगा।

(2) अंजुमन (सभा) के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, लेखा परीक्षित रूप में तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्रावक्कलन सहित, प्रस्तुत की जाएगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय के विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्रावक्कलन की प्रति अंजुमन (सभा) के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) अंजुमन (सभा) के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति अंजुमन (सभा) के एक चौथाई सदस्यों से होगी।

(5) अंजुमन (सभा) के विशेष अधिवेशन मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) या शेख-उल-जामिया (कुलपति), द्वारा, या यदि शेख-उल-जामिया (कुलपति) नहीं है तो नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) द्वारा, या यदि कोई नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) नहीं है तो मुसज्जिल (कुलसचिव) द्वारा बुलाए जा सकेंगे।

13. मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) :

(1) मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) शेख उल-जामिया (कुलपति) ;

(ii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) ;

(iii) संकायों के दो अध्यक्ष, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(iv) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष ;

(v) प्रवंध बोर्डों, विश्वविद्यालय केंद्रों के निदेशकों में से एक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(vi) तीन अध्यापक विश्वविद्यालय के आचार्यों, उपाचार्यों और अध्यापकों में से एक-एक शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाएंगे।

(vii) कुलाधिकृत द्वारा नामनिहित चार व्यक्ति;

(viii) परिनियम 11(1)(xi) के अधीन आजीवन सदस्यों में से दो व्यक्ति जो छजुर्सन् (सशा) द्वारा चक्रानुक्रम से चुने जाएंगे।

(2) मजलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद) के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति भाँच सदस्यों से होती।

(3) मजलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य द्वारा वर्ष की प्रवधि तक पद छारण करेंगे।

(4) मजलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद) की शक्तियाँ और कृत्यः

(1) मजलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद) विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति की प्रबंधनी और प्रशासन करेगी और विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलालीमी का, जिनके लिए अधिकार उपर्युक्त न हो संचालन करेगी।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपर्युक्तों के अधीन रहके बुल्ले परिषिक-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद) को उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापने तथा शैक्षणिक पदों का सूचन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनको उपलब्धियाँ अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों प्राचार्यों को तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवट्ट, संस्थाओं और विद्यालयों के प्राचार्यों के कर्तव्य तथा सेवा की शर्तें परिनियमित करना;

(ii) फरंतु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवट्ट की संख्या, अहंताओं और उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिस-ए-मुतज़ेमा (कार्य परिषद) द्वारा की गई कोई ज़रूरत नहीं मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) की विकारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(iii) प्रशासनिक, अनुसन्धानीय और अन्य प्रविधिक सदों का सूचन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्त करना;

(iv) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) और शेख-उल-जामिया (कुल-पति) एवं भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की अनुपस्थिति-छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारों की अनुपस्थिति के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इतजाम करना;

(v) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशिक्षणिक सदस्यों और अन्य कर्मचारिवट्ट में इन परिनियमों और अध्यादेशों के प्रत्युषार प्रनुशोसन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vi) विश्वविद्यालय के वित्त, खेतीयों, विनियातों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंध और विनियमन करना;

(vii) विश्वविद्यालय के वित्तीयों, जिसके अन्तर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसे स्टाकों, निधि यों, शेयरों या प्रतिश्रुतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति को क्रय करने में विनिहित करना, जिसमें ऐसे विश्वातों में समय-समय पर उसी ब्रकार्ड परिवर्तन करने की शक्ति भी है;

(viii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या हथावर संपत्ति अंतरित करना या उसके अंतरण को प्रतिगृहीत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर तथा साधित और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(xi) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द, अन्य कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यक्ति अनुभव करें, शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाए, तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xii) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या-परिषद्) से प्राप्ति करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा उनकी कीमि उपलब्धियाँ और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के दाताओं का एक रजिस्टर बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना तथा छात्र मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xv) छात्राओं के निवास और अनुशासन के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो आवश्यक हों;

(xvi) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को शेख-उल-जामिया (कुलपति), नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति), मुसज्जिल (कुल सचिव) या वित्त अधिकारी को या विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे कर्मचारी या शाधिकारी को या अपने द्वारा स्थापित की गई समिति को, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित करना;

(xvii) अध्येतावृत्तियाँ, छावनवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार संस्थित करना; और

(xviii) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या हथावर संस्था परिवर्तन किए या जाएं।

15. मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) :

(1) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- (i) शेख-उल-जामिया (कुलपति);
- (ii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);
- (iii) केंद्रों के निदेशक;
- (iv) संकायों के अध्यक्ष;
- (v) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (vi) विभागाध्यक्ष;
- (vii) संस्थाओं और विद्यालयों के प्राचार्य और अध्यक्ष;
- (viii) पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (ix) विभागाध्यक्षों से भिन्न दो प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा घेल्ता के अनुसार, नियुक्त किए जाएंगे;

(x) विश्वविद्यालय के दो अध्यापक, जिनमें से कम से कम एक उपाचार्य होगा और जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(xi) तीन ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं, जो उनके विशेष ज्ञान के कारण मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा सहयोगित किए जाएंगे।

(2) गग्पूति मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।

(3) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तोड़ वर्ड को अवधि तक पद धारण करेंगे।

16. मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की शक्तियाँ :

इस अधिनियम, इन परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय को शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना तथा शिक्षण के तरीकों, विभागों और संस्थाओं में सहकारी शिक्षा, अनुसंधानों के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ii) अंतर संकाय, का समन्वय करना, अन्तर संकाय आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समितियों या बोर्डों की स्थापना करना;

(iii) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी संकाय या मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा निर्देश किए जाने पर विवार करना और उस पर समुचित कार्रवाई करना; और

(iv) इन परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अवैतावृत्तियों और अध्ययन वृत्तियों के दिए जाने, फीस में रियायतों, सामुदायिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों।

17. संकाय और विभाग :

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात् :—

(i) मानविकी और भाषा संकाय;

(ii) सामाजिक विज्ञान संकाय;

(iii) प्राकृतिक विज्ञान संकाय;

(iv) शिक्षा संकाय;

(v) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकाय;

(vi) विधि संकाय; और

(vii) अन्य ऐसे संकाय जो इन परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

१३. संकायों का चक्र : विभाग के लिए उपलब्ध होनी चाही (२)

(१) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकाय से विभाग प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा; उसके लिए उपर्युक्त वर्ष के लिए उपलब्ध होनी चाही (ix)

(ii) संकाय के सब आचार्य; उन्हें उपर्युक्त वर्ष के लिए उपलब्ध होनी चाही

(iii) संकाय को सौंपे गए विभागीय के सभी अध्यक्ष, जो आचार्य न हों;

(iv) प्रत्येक विभाग से एक उपाचार्य, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से;

(v) प्रत्येक विभाग से दो प्राध्यायकमि (क्रिक्केट सेक्टर के इस वर्ष से अधिक सेवा वाला तथा दूसरा दस वर्ष से कम सेवा वाला होगा), ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से;

(vi) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) द्वारा विश्वविद्यालय के अन्य संकायों में से वास्तविकित ज्ञार व्यवित्रुति और (i)

(vii) पांच ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और संकाय को सौंपे गए किसी विषय के विशेष ज्ञान के कारण संकाय द्वारा सहयोजित किए जाएं, परंतु किसी एक विभाग को सौंपे गए किसी विषय की बाबत एक से प्रत्येक व्यक्ति को सहयोजित प्रश्नों की जिम्मा (ज्ञा) सकेगा।

(2) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा उपलब्ध होनी चाही (iii)

(ii) पालिटेक्निक विश्वविद्यालय का प्रधान;

(iii) संकाय के सब आचार्य, उपर्युक्त वर्ष के लिए उपलब्ध होनी चाही (v)

(iv) संकाय के प्रत्येक विभाग से एक उपाचार्य और एक प्राध्यायक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से;

(v) पालिटेक्निक विश्वविद्यालय से तीन से छँटाईके छँपचार्य,

(vi) पालिटेक्निक विश्वविद्यालय की एक प्राध्यायक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से;

(vii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो और जिसे संबंधित विषय या विषयों का विशेषज्ञ या जानकारी हो, जिसे प्रत्येक विभाग के त्रिए संकाय द्वारा सहयोजित किया जाएगा; और

(iii) संकाय को सौंपे गए किसी विषय के या किसी संबंधित ज्ञान की शाखा के विशेष ज्ञान के कारण मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद) द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य!

(3) संकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) संकाय के अधिवेशनों का संचालन और प्रत्येक संकाय के लिए अनिवार्य अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

19. संकायों की शक्तियां और कृत्य :

संकायों को अध्यादेशों के अधीन विहित शक्तियां और कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी—

(i) संकाय को दिए गए विभागों के अध्यापन और अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करना तथा अंतरविषयक अध्यापन और अनुसंधान को अभिवृद्धि करना और उसकी व्यवस्था करना तथा संकाय के कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषयों में परीक्षा और कालिक परीक्षणों की व्यवस्था करना;

(ii) अध्ययन बोर्डों या समितियों की स्थापना करना या एक से भिन्न विभाग से सामान्य रूप से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेना;

(iii) विभागों द्वारा प्रस्थापित पाठ्यक्रम अनुमोदन करना;

(iv) अध्ययन बोर्डों या उच्च शिक्षा और अनुसंधान समिति की सिफारिशें मजलिस-ए-मंत्रजेमा (कार्य परिषद्) को भेजना;

(v) संकाय द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिए अध्यादेशों का प्रारूप प्रस्थापित करना;

(vi) अध्यापन पदों के सूचना और समापन की प्रस्थापनाओं की सिफारिश करना; और

(vii) मन्त्र एवं कृत्य करना जो मजलिस-ए-मंत्रजेमा (कार्य परिषद्) और मजलिस-ए-फ़ैलीमे (विद्या परिषद्) विहित करें।

20. विभाग :

(1) प्रत्येक संकाय में उतने विभाग होंगे जितने परिनियमों द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(2) कोई भी विभाग, इन परिनियमों द्वारा विहित किए जाने के सिवाय नहीं तो स्थापित किया जाएगा और न समाप्त किया जाएगा।

(3) जापिया मिलिया इस्लामिया स्थितियम, 1988 के प्रारंभ के समय विद्यमान विभाग और उनसे संबंधित संकाय, जब तक कि परिनियमों द्वारा अन्यथा विनियोजित किया जाए, पहले की तरह ही कृत्य करते रहेंगे।

(4) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) विभाग के अध्यापक;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

(iii) संकायाध्यक्ष;

(iv) विभाग से संबद्ध अवैतनिक आचार्य, यदि कोई हो,

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अध्यादेशों के उपबंधों के अन्तर्गत विभाग के सदस्य हों।

(6) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना जो इन परिनियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसे कृत्य करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

21. अध्ययन बोर्ड :

- (1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—
- (i) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा;
 - (ii) संबंधित संकाय का अध्यक्ष;
 - (iii) विभाग के सभी सदस्य;
 - (iv) मजलिस-ए-तालीमी (विद्यापरिषद) द्वारा नामनिर्दिष्ट, विश्वविद्यालय में संबंधित या एक जैसे विषयों में अध्यापन करने वाले दो व्यक्ति, और
 - (v) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित किए जाने वाले दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय को सेवा में न हों;
- (2) उपर्युक्त (1) की मद (iv) और मद (v) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।
- (3) अध्ययन बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे—
- (i) संकाय को अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से निम्नलिखित के संबंध में सिफारिश करना :—
 - (a) पाठ्यक्रम;]
 - (b) स्नातकंपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षाकों की नियुक्ति;
 - (c) अध्यापन पदों का सूचन, समापन या उत्तर्यात;
 - (d) प्रत्येक पद के सूचन के समय उसका अध्ययन क्षेत्र;
 - (e) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के उपाय;
 - (f) विभिन्न उपायियों के लिए अनुसंधान के लिए विषय और अनुसंधान कार्य की अन्य अपेक्षाएं; और
 - (g) अनुसंधान कार्य के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; - (ii) अध्यापकों में अध्यापन कार्य आवंटित करना;
 - (iii) विभाग के साधारण और शैक्षिक हित के और उसके कार्यकरण के विषयों पर विचार करना;
 - (iv) ऐसे अन्य कृत्य करना जो संकाय द्वारा उसे सौंपे किए जाएँ:

परंतु कोई विभाग अपने बड़े आकार के कारण या अन्यथा, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के हित में समितियां गठित कर सकेगा और उन्हें विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, उत्तरदायित्व सौंप सकेगा।

22. जनसंपर्क संसूचना अनुसंधान केंद्र :

- (1) इस अधिनियम और इन परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जनसंपर्क संसूचना अनुसंधान केंद्र विश्वविद्यालय का एक स्वशासी केंद्र होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप जनसंपर्क माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान का आयोजन करेगा।

(2) जनसंपर्क संसूचना अनुसंधान केंद्र का एक प्रबंध बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा सिफारिश किए गए तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए या उसके पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की जाएगी। वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

(ii) अध्यक्ष के परामर्श से मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा विश्वविद्यालय के बाहर से नामनिर्दिष्ट जनसंपर्क संसूचना के क्षेत्र में चार सुप्रसिद्ध व्यक्ति;

(iii) शेख-उल-जामिया (कुलपति) का एक नामनिर्देशितों;

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति;

(v) मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों के जनसंपर्क संसूचना केंद्रों में से नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ;

(vi) केंद्र के सभी विभागाध्यक्ष।

(3) केंद्र का प्रशासनिक अधिकारी, प्रबंध बोर्ड का पदेन सक्ति होगा किन्तु वह बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(5) केंद्र विश्वविद्यालय का एक पथक प्रशासनिक एकूण होगा और उसे अपने कार्यकरण में प्रशासनिक, शैक्षिक, वित्तीय और बजट संबंधी स्वायतता होगी :

परंतु मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) समय-समय पर, सभी मामलों के बारे में ऐसे निदेश जो वह आवश्यक समझे, केंद्र के अबाध कार्यकरण के लिए जारी कर सकेंगी और यदि प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेशों से सहमत नहीं हैं तो, भासले को कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जा सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(6) बोर्ड निम्नलिखित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात् :—

(i) समय-समय पर आचार्यौं, उपाचार्यौं, प्राध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, तथा अध्यापन कर्मचारिवृंद के ऐसे अन्य सदस्यों, केंद्र के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर नियुक्त करना, और इस प्रकार नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारी होंगे तथा इस अधिनियम, इन परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा शासित होंगे;

(ii) ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी आवश्यक समझी जाएं, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियों प्रत्यायोजित करना;

(iii) केंद्र के वित्त, लेखा, कारबार तथा अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना और उन्हें विनियमित करना;

(iv) अध्येतावृत्ति, छावनवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक, पुस्तकार, प्रमाणपत्र, और योग्यता प्रमाणपत्र संस्थित करना और उनके दिए जाने को विनियमित करना;

- (v) मजलिस-ए-तालिमी (विद्या परिषद) की विषयालिखित पर पुरीकरण, अनुष्ठानकों और परीक्षाओं के संचालन से संबंधित जिस अवधिकारियों को सम्बुद्धि देना और उनका पारिश्रमिक नियत करना;
- (vi) केंद्र के ऐसे अधिकारियों, अध्यापकों की नियमित विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की शिक्षायों अथवा कामों पर उनकी व्यवस्थनीयता करना और उन्हें प्रतितोष देना जो किसी कारण से व्यायित असुविधा करें; किसी अन्य कारण से व्यायित असुविधा करें;
- (vii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य क्रत्यों का पालन करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों को मिरहीन करने जैसे विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझ जाहा;
- (7) प्रबंध बोर्ड केंद्र के कार्यों से संबंधित सभी विषयों के बारे में अपनी वासिक रिपोर्ट मजलिस-ए-मुंतज़मा (कार्यपरिषद) के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (8) केंद्र के वासिक लैखे और वित्तीय प्राक्कलन मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (9) प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा और केंद्र के संपूर्ण कार्यकरण और पर्यवेक्षण के लिए मजलिस-ए-मुंतज़मा (कार्यपरिषद) के प्रति उत्तरदायी होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा समर्थन प्राप्त होंगे तो उन्हें किए जाएं।
- (10) प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष को मजलिस-ए-मुंतज़मा (कार्यपरिषद) के सभी अधिवेशनों में उस समय भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जब कभी केंद्र से संबंधित कोई विषय कार्य सूची में होगा।
- (11) प्रबंध बोर्ड, केंद्र के उचित कार्यकरण और प्रबंध को विविधकार करने के लिए विनियम बनाएगा।
- (12) प्रबंध बोर्ड, केंद्र के कार्यकरण के लिए ऐसे नियम गठित कर सकेगा, जो वह ठोक संवैज्ञ और उनके लिए विनियम बना सकेगा।
- (13) शेख-उल-जामिया (कुलपति) को केंद्र के प्रबंध बोर्ड के लिए सभी अधिवेशनों में उपस्थित होने का विशेषाधिकार होगा।

23. जामिया के विद्यालय:

- (1) इस अधिनियम और इन परिनियमों के उपबंधों के प्रधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और चलाए जाने वाले विद्यालय संवित्त एक के रूप में इस्तेमाल करने और उनके प्रबंध बोर्ड के लिए एक प्रबंध बोर्ड होगा:
- परंतु मजलिस-ए-मुंतज़मा (कार्यपरिषद) ने समय-समय परंतु सीमित विषयों के बारे में ऐसे नियम, जो वह अधिकारीक समझ, विद्यालियों के अवधारणारूपों को लिए जारी कर सकेगा और यदि प्रबंध बोर्ड ऐसे नियमों से सहमत नहीं है तो, मजलिस को कुलाध्यक्ष को नियोगित किया जाए सकेगा; जिसका उस पर विनिश्चय ग्रहित होगा।
- (2) प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—
- (i) शेख-उल-जामिया (कुलपति), जो अध्यक्ष होगा;
 - (ii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);
 - (iii) संकायाध्यक्ष, जिसका संकाय;
 - (iv) प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय;

- (v) प्रधान अध्यापक, मिडिल स्कूल;
- (vi) निदेशक, नर्सरी विद्यालय;
- (vii) निदेशक, बालक माता केंद्र;
- (viii) दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों में से एक प्राचार्य, जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिधिष्ट किया जाएगा;
- (ix) सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली;
- (x) विद्यालयों का एक सहायक कुल-सचिव, जो सचिव होगा।

(3) प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात्:-

- (i) अध्यापन और प्रशासनिक कर्मचारिवाद के सदस्यों को इस प्रयोजन के लिए जाठित चयन समितियों की सिफारिश पर नियुक्त करना और नियुक्त किए गए ऐसे सभी व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारी होंगे और वे इस अधिनियम, इन परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा आसित होंगे;
- (ii) वित्ती लेखा, कारबार तथा विद्यालयों के अन्य प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना और विनियमित करना;
- (iii) परीक्षक, अनुसीमक और परीक्षा के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना तथा उनका पारिश्रमिक नियत करना;
- (iv) छावनीति पार्टी, अध्ययन वृत्ति, पदक, प्रमाणपत्र और पुरस्कार दिस्तिवाक्यकरना और उनके दिल्ली जाने को विनियमित करना;
- (v) विद्यालयों के अध्यापन और प्रशासनिक कर्मचारिवाद के सदस्यों को शिक्षण ग्रहण करना और उनका अन्यतिरिक्त करना; और
- (vi) ऐसी अन्य सक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्य करना जो विद्यालयों के अध्याधिकार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएँ।

24. मञ्जलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) :

(1) मञ्जलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) शेख-उल-जामिया (कुलपति);
- (ii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति);
- (iii) संकार्यों के दो अध्यक्ष, जो मञ्जलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिधिष्ट किए जाएंगे;
- (iv) मञ्जलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिधिष्ट दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में के व्यक्ति न हों;
- (v) कुलक्षण द्वारा नामनिधिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति।

(2) वित्त अधिकारी, समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु वह समिति का सदस्य नहीं होगा।

(3) लेखांशों की परीक्षा और व्यय को प्रस्थापनाओं को जांच के लिए मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) का अधिकेशन वर्ष में कम से कम दो बार होगा ।

(4) मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(5) गणपूर्ति मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के पांच सदस्यों से होगी ।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्रावक्लन मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के समक्ष विचार और टोका-टिक्कणों के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे ।

(7) मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) वर्ष में कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाएं नियत करेंगी, जो विश्वविद्यालय की आय और साधनों पर आवारित होगी (जिसके अंतर्गत उत्पादक कार्य की दशा में उदारों के आगम भी हो सकें) और इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(8) बजट में उत्तर्वित से भिन्न कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

25. चयन समितियां :

(1) आचार्य, उचाचार्य, प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कुल सचिव, वित्त अधिकारी तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी ।

(2) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में शेख-उल-जामिया (कुलपति), नायब शेख-उल-जामिया (प्रति कुलपति), कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रेविष्ट में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे :

परन्तु जहां किसी संस्था में अध्यापक को नियुक्ति की जाती हो, वहां उस संस्था का प्राचार्य भी ऐसी नियुक्ति के लिए नियुक्त चयन समिति का पदेन सदस्य होगा :

सारणी	(1)	(2)
आचार्य	(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो ; (ii) एक आचार्य जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; (iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उन नामों के पैनल में से नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश मजलिस-ए-तालीमो (विद्या परिषद्) द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य संबद्ध होगा, विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ;	

(1)	(2)
आचार्य/प्राध्यापक	<p>(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष ;</p> <p>(ii) एक आचार्य, जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;</p> <p>(iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जो मजलिस-ए-मंतज़ेमा (कार्यपरिषद्) द्वारा उन नामों के पेनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा, उस विषय में, जिससे उपाचार्य या प्राध्यापक संबद्ध होगा, विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।</p>
मुसजिज्ल (कुल सचिव)/ वित्त अधिकारी	<p>(i) मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्यपरिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य ;</p> <p>(ii) मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्यपरिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो ।</p>
पुस्तकालयाध्यक्ष	<p>(i) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में हों, और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो और जो मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्यपरिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;</p> <p>(ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो और जो कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।</p>
विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और जिनमें से दो मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्यपरिषद्) द्वारा और एक मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिसमें उस संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो ।
प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	<p>(i) संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय ;</p> <p>(ii) तीन व्यक्ति, जो जामिया के कर्मचारी नहीं हों, और जो मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्यपरिषद्) या मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के सदस्य नहीं हों, जिनमें से दो, मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा सुझाए गए 7 व्यक्तियों के पेनल में से शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और एक व्यक्ति मजलिस-ए-मूंतज़ेमा (कार्यपरिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।</p>
अध्याध्यापक	(i) संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय ;

(1)

(2)

- (ii) संबंधित विद्यालय का प्रधान ;
 (iii) एक व्यक्ति, जो जामिया में अध्यापन कार्य नहीं करता है और जो मजलिस-ए-मुंत जेमा (कार्य परिषद्) या मजलिस-ए-न्तालीमी (विद्यापरिषद्) का भी सदस्य नहीं है, विद्यालय शिक्षा और प्रशासन में उनके अनुभव के कारण चार व्यक्तियों के पैनल में से शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

पुस्तकालय कर्मचारिवृद्धि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) (समय-समय पर), पुस्तकालयाध्यक्ष से भिन्न पुस्तकालय कर्मचारिवृद्धि के लिए एक स्थायी चयन समिति नियुक्त करेगी।

प्रशासनिक कर्मचारिवृद्धि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) (समय-समय पर), प्रशासनिक कर्मचारिवृद्धि के लिए एक स्थायी चयन समिति नियुक्त करेगी।

(3) शेख-उल-जामिया (कुलपति) या उसकी अनुपस्थिति में अधिकारी शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) चयन समिति के अधिकेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(4) चयन समिति के अधिकेशन शेख-उल-जामिया (कुलपति) या उसकी अनुपस्थिति में अधिकारी शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) द्वारा बूलाए जाएंगे।

(5) सिफारिशों करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अझदेशों में अधिकथित की जाएगी।

(6) यदि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करते हैं तो असमर्थ हो तो वह अपने कर्मचारी शेख-उल-जामिया (कुलपति) और अमले को अंतिम आदेश के लिए कुलगाध्यक्ष को भेजेगी।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी :—

(i) यदि अस्थायी रिक्त एक शैक्षणिक सत्र से अधिक लंबी अवधि के लिए है तो वह पूर्वामी खंडों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी, जिसमें संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और शेख-उल-जामिया (कुलपति) का एक नामनिर्देशित होगा :

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष (कार्यपाल) का अधिकार करता है तो चयन समिति में शेख-उल-जामिया (कुलपति) के दो नामनिर्देशित होंगे :

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से हुई अद्ययन घटों में अचानक आकस्मिक रिक्तियों की दशा में, संकायाध्यक्ष, संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और उसी नियुक्ति की रिपोर्ट शेख-उल-जामिया (कुलपति) और मुसाइज़ा (कुलफचिब) को देगा।

(iii) अस्थायी रूप में नियुक्त किए गए किसी भी प्रधायापक को, यदि इन परिनियमों के अधीन उसकी नियुक्ति की एक नियमित चयन समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई है, ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में तब तक बना रहने नहीं दिया जाएगा, या उसे नहीं नियुक्त नहीं दी जाएगी, उसे जब तक कि उसे, व्यास्थिति, प्रस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में चयन नहीं कर लिया जाता।

(8) पूर्वगमी खंडों में किसी बात के होते हुए भी, मजलिस-ए-मूतज़ेमा (कायं-परिषद्) किसी उच्च विद्या संबंधी विशेष उपाधियों तथा वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगी कि वह, विश्वविद्यालय के आचार्य के पद को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, स्वीकार करे और उस व्यक्ति के लिए सहमत होने पर उसे उस पद पर नियुक्त करे ।

(9) विश्वविद्यालय की मजलिस-ए-मूतज़ेमा (कायं-परिषद्) विसी अस्थायी विश्वविद्यालय या संस्था में काम करने वाले किसी प्रधायापक या अन्य शक्ति क कर्मन्वालिकाएँ को, संयुक्त परियोजना को चलाने के लिए, प्रधायादेशों में विहित रीति के अनुसार नियुक्त कर सकेंगी।

टिप्पण 1—जहां नियुक्ति अंतस्त-विषयक परियोजना के लिए की जा रही हो वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2—नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय के संबंध आचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और शेख-उल-जामिया (कुलपति) किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागीयता और सकारात्मक से परामर्श करेगा।

(10) मजलिस-ए-मूतज़ेमा (कायं-परिषद्) पूर्वगमी खंडों में अधिकारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

26. समितियां :

विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण उतनी स्थायी या विशेष समितियों स्थापित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे, जिनमें ऐसे स्थापित करने वाले प्राधिकरण के सहस्र तथा ऐसे अन्य व्यक्ति (यदि कोई है) होने, जिन्हें वैद्य प्राधिकरण, प्रत्येक मामले में, ठीक समझे; और ऐसी कोई समिति किसी ऐसे विषय में कायवाही कर सकेगी जो उसे सोचा जाए, किन्तु यह खाल में उसे स्थापित करने वाले प्राधिकरण की पुष्टि के अधीन होगी।

27. विश्वविद्यालय के प्रधायापकों को सेवा के नियंत्रण और शर्तें :

(1) विश्वविद्यालय के सभी प्रधायापक, तत्वातिकृत किसी कारार के अमाल में, परिनियमों, प्रधायादेशों और विवियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों से शासित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्रधायापक एक लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा जिसका प्रृष्ठ अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा और संविदा की एक प्रति मुसजिल (कुल संचिव) के पास भी रखी जाएगी।

28. अपेक्षित सूची :

(1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कोई पद व्यापारण करना हो या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य और ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से होना हो, ऐसी ज्येष्ठता को अवश्य उस व्यक्ति के उसके घेड में निरतर सेवाकाल के अनुसार और अन्य ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो मजलिस-ए-मूतज़ेमा (कायं-परिषद्) समय-समय पर अबधारित करे, किया जाएगा।

(2) मुसजिल (कुलसचिव) का यह कर्तव्य होगा कि वह जिन व्यक्तियों को ये परिनियम लागू होते हैं उनके प्रति वर्ण की बाबत एक पूरी अद्यतन ज्योष्टता सूची पूर्वगामी खंड के अनुसार तैयार करे और रखें।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट शेड में निरंतर सेवाकाल बराबर हो या किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्योष्टता के विषय में अन्यथा संदेह हो, तो मुसजिल (कुलसचिव) स्वप्रेरणा से और किसी ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर मामला मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) को भी जै सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

29. सम्मानिक उपाधियाँ :

(1) मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की सिफारिश पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा सम्मानिक उपाधियाँ प्रदान करने के लिए कुलाध्यक्ष से प्रस्थापना कर सकेगी।

परंतु आपात की दशा में, मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) स्वयं ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई सम्मानिक उपाधि वापस ले सकेगी।

30. उपाधियाँ, श्रादि का वापस लिया जाना :

मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी।

परंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जैसा उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए यह हेतुक दर्शत करने के लिए एक लिखित रूप में सूचना ज दे दी गई हो कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए और जब तक मजलिस-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उसके आक्षेयों पर, यदि कोई है, और किसी साइर पर, जो वह अपने समर्थन में पेश करना चाहे, विचार ज कर लिया गया हो।

31. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना :

(1) छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी शक्तियाँ शेख-उल-जामिया (कुलपति) में निहित होंगी।

(2) शेख-उल-जामिया (कुलपति) अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को जो वह ठीक समझे, किसी ऐसे अधिकारी को जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) शेख-उल-जामिया (कुलपति), अनुशासन बनाए रखने से और अनुशासन बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई, जो उसे उचित प्रतीत हो, करने से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि कोई छात्र किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी विभाग या संस्था में एक कथित अवधि के लिए किसी प्राठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट न किया जाए, अथवा उसे उतने जुमनि का दंड दिया जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, अथवा उसे विश्वविद्यालय या विभाग या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक बालों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी

ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के, जिनमें वह या वे सम्मिलित हुए हों, परीक्षांकर्त रह कर दिए जाएं।

(4) केंद्र के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष, संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और संस्थाओं के प्राचार्यों को प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने केंद्रों, विद्यालयों, संकायों, संस्थाओं और विभागों में छात्रों पर ऐसी सब अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन केंद्रों, विद्यालयों, संकायों, विभागों और संस्थाओं के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(5) शेख-उल-जामिया (कुलपति) की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। केंद्र के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रों के निदेशक, संकायाध्यक्ष और विभागों के अध्यक्ष तथा संस्थाओं के प्राचार्य ऐसे अनुपुरुक्त नियम बना सकेंगे जो वे पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की धौषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह स्वयं को शेख-उल-जामिया (कुलपति) की और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अप्पित करता है।

32. संस्थाओं की स्थापना :

संस्थाओं की स्वारंता और उत्तम स्थापन इति परिनियमों द्वारा शासित होगा।

33. दीक्षांत समारोह :

उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

34. अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष :

जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी सभापति या अध्यक्ष का उपबंध न हो वहां, या जब इस प्रकार उपबंधित किया गया सभापति या अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो, उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक को निर्वाचित कर लेंगे।

35. त्यागपत्र :

(1) अंजुमन (सभा), मञ्जिलिस-ए-मुतजेमा (कार्य परिषद्), मञ्जिलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण का या ऐसे प्राधिकरण को किसी समिति का पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित नह द्वारा पद त्याग सकेगा और वह त्यागपत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावी होगा जब वह उस रिवित को भरने के लिए सभी प्राधिकारी द्वारा स्वीकार लिया जाए।

(2) विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा; कुलसचिव की संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा।

परंतु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख को हो प्रभावी होगा जब वह उस रिवित को भरने के लिए सभी प्राधिकारी द्वारा स्वीकार लिया जाए।

36. निरहंताएँ :

(1) वह व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने या चुने जाने के लिए निरहंत होगा यदि—

(i) वह विकृत-चित्त या मूक-बधिर है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) वहाँ ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक प्रकृती अतिरिक्त है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया उम्मा है। शोष उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई कर्त्तव्यखंड (1) में निर्णित निर्देशार्थों में से किसी एक के अधीन है या इहाँ तो यह प्रश्न कुलाकारक क्रितिक्षय के लिए निर्देशित किया जाएगा विवशा उसका वित्तिहित्या अधिक होगा और ऐसे विवशय के विरुद्ध किसी निर्दिष्ट न्यायालय में कोई चाह या कर्त्तव्यक्षम ही नहीं होगी।

37. अध्यापकों का हटाया जाता:

(1) जहाँ किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द के सदस्य के विरुद्ध अवचार का अधिकृत हो वहाँ गृष्ठ-उल्जासिया (उल्जपति), माफ़ित वह ठीक समझता है तो, लिखित रूप में आदेश द्वारा उस अध्यापक को निलंबित कर सकता। और मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य-परिषद) को उन परिस्थितियों की तुरंत स्पेष्ट देगा जिनमें आदेश किया गया था:

परंतु यदि मजलिस-ए-पूतज़ेमा (कार्य-परिषद) की राय है कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द के सदस्य का निलंबन नहीं होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकती।

(2) मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य-परिषद), किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द के सदस्य को सेवा-संविदा या उसकी नियुक्ति के निवंधनों में किसी बात के होते हुए भी उसे अवचार के आधार पर हटा सकती।

(3) प्रथमोंक्त के सिवाय, मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य-परिषद) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द के सदस्य को हटाके की तभी हकदार होगी जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की लिखित रूप में सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास का वेतन दे दिया गया हो।

(4) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द के सदस्य को हटाने के लिए खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसके लिए में की जाने के लिए प्रस्तुतिपत्र कारंवाई के विरुद्ध हेतु कर्त्तव्य करने का युक्तिशुल्क अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द के सदस्य को हटाने के लिए मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य-परिषद) के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दोपत्रिहाई बहुमत की ओर होती है।

(6) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द के सदस्य का हटाया जाना उक्त तारों से प्रमाणी होना जिसके कारण आदेश किया जाता है:

परंतु जहाँ कोई अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द का सदस्य उसके हटाए जाने के समय निलंबित है वहाँ हटाया जाना उस तारों से प्रमाणी होगा जिसके उसे निलंबन के अधीन रखा गया था।

(7) परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द का सदस्य मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य-परिषद) को लिखित रूप में तीन मास की सूचना देकर या उसके बदले में विश्वविद्यालय को तीन मास के वेतन का संदाय करके पद त्याग सकेगा।

38. विश्वविद्यालय के अध्यापकों से सिल्ल कर्मचारियों का हटाया जाता:

(1) अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृद्द के सदस्य से भिन्न किसी कर्मचारी का, उसको सेवा संविदा या उसकी नियुक्ति के निवंधनों में किसी बात

के होते हुए भी, उस प्राधिकारी द्वारा, जो ऐसे कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए सक्षम हो, हटाया जा सकेगा यदि—

- (i) वह विकृत-चित्त या मूक-बधिर है;
- (ii) वह अनुभोचित दिवालिया है;
- (iii) वह ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अवस्था अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है;
- (iv) वह अवचार का अध्यया दीपी है:

परंतु कोई कर्मचारी श्रेयने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस आशय का सुनाई भजित-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा उसके उपस्थित और मतदात करने वाले सदस्यों के द्वारा इन्हें बद्रुमत से पारित न कर दिया गया हो।

(१) कोई कर्मचारी खंड (१) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसके बारे में कोई बाबत के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विषय हेतुक दृश्यत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(३) जहां ऐसा कर्मचारी खंड (१) के उपखंड (iii) या उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कारण से भिन्न किसी कारण से हटाया जाए वहां उसे तीन मास की लिखित रूप में सूचना दी जाएगी या ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन दिया जाएगा।

(४) परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारि-वृक्ष के सदस्य से भिन्न कोई कर्मचारी—

(i) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित रूप में सूचना देने या उसके बदले में विश्वविद्यालय को तीन मास का बैतृत देने के पश्चात् ही पद त्याग करने का हकदार होगा;

(ii) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित रूप में सूचना देने या उसके बदले में विश्वविद्यालय को एक मास की वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग करने का हकदार होगा :

परंतु ऐसा त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

39. अध्यादेश कैसे बनाए जाएँ ?

(१) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (२) के अधीन बनाए गए अध्यादेश भजित-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समक्ष संशोधित निरसित या वर्त्तव्यित किए जा सकेंगे।

(२) धारा 25 में प्रयोगित मामलों के बारे में, जो उस धारा की उपधारा

(१) के खंड (२) में प्रयोगित मामलों से भिन्न हैं, भजित-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद) द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप भजित-ए-तालीमी (विद्या परिषद) द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(३) भजित-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद) को भजित-ए-तालीमी (विद्या परिषद) द्वारा खंड (२) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को संशोधन करने को अनुमति नहीं होगी किंतु वह अध्यादेश को भार्जन कर सकेगी या भजित-ए-तालीमी (विद्या परिषद) के प्रभावित वापसी द्वारा उस संपर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को किसी ऐसे संशोधन सहित जिसे भजित-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद) सुझाव दे, वापस भेज सकेगी।

(४) जहां भजित-ए-मूतजेमा (कार्य परिषद) ने भजित-ए-तालीमी (विद्या परिषद) द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां भजित-ए-तालीमी (विद्या परिषद) उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदात करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई और भजित-ए-तालीमी (विद्या परिषद) के सदस्यों

की कल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुनः अभिपूष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित करेगो, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रवृत्त होगा।

(6) मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसे अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। कुलाध्यक्ष को अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को यह निर्देश देने की शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे अध्यादेश के प्रवर्तन को निर्लंबित कर दे और वह मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) को यथासंभव शीघ्र प्रस्ताव अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा। कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् अध्यादेश का निर्लंबन करने वाले आदेश को या तो वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंज़र कर देगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

40. विनियम :

(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से सुसंगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:-

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणरूपि के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकृति करना;

(ii) उन सभों विषयों के लिए उपबंध करना जो इस अधिनियम, परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाने वाले अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित हैं; और

(iii) ऐसे सभों अन्य विषयों का उपबंध करना जो मूल्यतः ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा स्थापित समितियों के बारे में होगे जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हैं।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण उस प्राधिकरण के सदस्यों को अधिवेशनों की तरीखों की और उन अधिवेशनों में विवरणीय कार्यक्रमी सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने सबंधी उपबंध करने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम के, ऐसी रीति से जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के रद्द किए जाने का निर्देश दे सकेगी।

41. शक्तियों का प्रत्यायोजन :

अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी शक्तियाँ, अपने-अपने नियंत्रण चें के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का समग्र उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित बना रहेगा।

42. सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त होना :

इन परिनियमों में किसी वात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति, जो मामूली तौर पर भारत में निवासी न हो, विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का पाद्र नहीं होगा।

43. अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता

इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी विशिष्ट नियुक्ति का धारक होने के नाते विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता हो या अपनी उस हैसियत में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य हो, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति का धारक बना रहे।

44. पूर्व छात्र संगम :

- (1) विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्व छात्र संगम होगा ।
- (2) कोई भी व्यक्ति उस संगम का तब तक सदस्य नहीं होगा जब तक —

- (i) उसने ऐसा चंदा न देदिया हो और ऐसी शर्तों को पूरा न कर दिया हो जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ; और
 - (ii) वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया या विश्वविद्यालय का स्नातक न हो ।
-